

कार्यालय आयुक्त
गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या

294/स्था./लिपिक/ 2017 दिनांक 22-3-2019

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को विलम्ब से सेवानिवृत्त नोटिस निर्गत की जा रही है। जिस कारण उनके सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान में विलम्ब/व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। शासनादेश संख्या-जी0-2-956/दस-539/19/1975 दिनांक 22.05.1975 तथा अधिसूचना संख्या 1098/ का-1/2001 दिनांक 28.11.2001 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत गन्ना अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को 01 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त नोटिस जारी करने हेतु सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि के अनुसार अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के दिनांक से 01 वर्ष पूर्व सूचना इस कार्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या सा-3-1713/दस-87-933 /89 दिनांक 28.07.1989 में निहित व्यवस्थानुसार भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देय सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय:-

- 1-भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के 16 मास पूर्व सेवापुस्तिका के अद्यतन की कार्यवाही की जाय।
- 2-भविष्य में सेवानिवृत्त होने की तिथि से ठीक 06 माह पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रपत्रों को निश्चत रूप से स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाय।
- 3-प्रत्येक सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों के सम्बन्ध में जानकारी करने की कार्यवाही कार्मिक के सेवानिवृत्त के दो वर्ष पहले प्रारम्भ करते हुये, तदनुरूप समायोजन की कार्यवाही शीघ्र किया जाय।

अतः उपर्युक्त निर्देशों तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों में निहित व्यवस्था के तहत समयान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर विलम्ब न किया जाय, विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(संजय आर. मूसरेड्डी)

आयुक्त

गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या.....5499/ल/...../तददिनांकित।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त उप गन्ना आयुक्त को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ /जनपदीय कार्यालय को निर्देशित करना सुनिश्चित करे।
- 2- समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

(पवन कुमार गंगवार)

अपर गन्ना आयुक्त(प्रशासन)